

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2022-23/277-278

दिनांक : 07.09.2022

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)-माध्यमिक

बाड़मेर/धौलपुर/जोधपुर/जालौर।

विषय : 12 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में

प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 11(1)शिक्षा-1/ब.घो.सं. 11/2022-23/2022 जयपुर,
दिनांक : 23.08.2022


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 11 (सीएमआईएस संख्या-315.02.0) की अनुपालना में संलग्न सूची अनुसार 12 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आईडी संख्या 102204496 (क्रम संख्या-1 से 4) एवं 102204002 (क्रम संख्या-5 से 12) दिनांक 22.08.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्त :-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 पर एक साथ एवं अप्रति सत्रों में क्रमशः कक्षा-11 एवं 12 प्रारंभ की जा सकेगी।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, बीकानेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
4. राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
5. क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
6. शेष शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
7. पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
8. उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारंभ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
9. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।

10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एम.पी. एल.ए.डी, एम.एल.ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।


(गौरव अग्रवाल)


आई.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक काम के क्रम में।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कर्मिके) /उप निदेशक (शिक्षा/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/भरतपुर/माली संभाग।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान बाड़मेर/धौलपुर/जोधपुर/जालौर।
12. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सदस्य केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/एफ/ब्रजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते


उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसरण में 12 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने की सूची

क्रमांक : शिविरा-मा./माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2022-23/ 277-278

दिनांक : 07/08, 2022

क्र० स०	जिला	पंचायत समिति	यूडाईस कोड	क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालय का नाम
1	BARMER	GADRAROAD	8171007101	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LALASAR (497308)
2	BARMER	GADRAROAD	8171000501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SOLANKIYA (497111)
3	DHOLPUR	DHOLPUR	8080301902	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MASUDPUR (487298)
4	DHOLPUR	SAIPAU	8080501201	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JAMALPUR (503185)
5	JODHPUR	PHALODI	8150235105	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GOUSHALA PHALODI (404017)
6	JODHPUR	BAP	8150109401	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHETUSAR (480988)
7	JALOR	CHITALWANA	8180802001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AARVA (472578)
8	JALOR	CHITALWANA	8180801091	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KUNDKI (407852)
9	JALOR	CHITALWANA	8180807801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ISROL (504145)
10	JALOR	CHITALWANA	8180804501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SUNTAKUI (472963)
11	JALOR	SANCHORE	8180519903	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BADSAM (474204)
12	JALOR	SANCHORE	8180506801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JHAIROL (473808)

सत्यमेव जयते

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर